राजस्थान सरकार,
आर्थिक एवं सॉंख्यिकी निदेशालय,
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

क्रमांकः–एस्टे/डीईएस/मृ.आ.नि./92/पार्ट–II/564

दिनांकः 01/03/2019

कार्यालय आदेश

श्री पंकज शर्मा पुत्र स्व.श्री मित्रानन्द शर्मा, जिनकी जन्म दिनांक 28.09.2001 है, को राजस्थान मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम–1996 के अनुसरण में राजस्थान मंत्रालयिक संवर्ग में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15 (1) एफ.डी./(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 की अनूसूची एफ(नियम 16) के प्रावधानानुसार कनिष्ठ सहायक पद की पे मेट्रिक्स लेवल–5 में **फिक्स पारिश्रमिक रूपए 14600/– प्रतिमाह** पर दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त किया जाकर इनका पदस्थापन **कार्यालय ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, सरदारशहर, जिला चूरू में कनिष्ठ सहायक** के रिक्त पद पर निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन किया जाता है:–

नियुक्ति की शर्तें निम्न प्रकार हैं:–

1. नियुक्ति उसी स्थिति में मान्य होगी जिसके लिए इनको राजस्थान सेवा नियम 9 एवं 10 के अन्तर्गत मेडिकल ज्यूरिस्ट एवं राजकीय अन्य समकक्ष चिकित्सा अधिकारी, जो कि जिला स्तर का चिकित्सा अधिकारी हो, से अपनी स्वास्थ्य परीक्षा का प्रमाण–पत्र (Fitness Certificate) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त कर कार्यग्रहण के समय संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. कार्यग्रहण के समय इनको Attestation Form (Police Verifaction) सत्यापित करवाकर कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत करना होगा।
3. इनको राजस्थान असैनिक सेवाऐं (आचरण) नियम–1971 के नियम 21 (1) के अन्तर्गत अपनी चल–अचल सम्पत्ति के विषय में विवरण संलग्न निर्धारित प्रपत्र (अनुसूची–III) में नियुक्ति प्राधिकारी को राज्य सेवा में कार्यग्रहण करने की दिनांक से एक माह के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।
4. इनकी नियुक्ति तभी वैध मानी जावेगी जब इनके चरित्र की जाँच सही पाई जावेगी।
5. इनको यह भी लिखित में देना होगा कि उनके द्वारा इस पद पर नियुक्ति से पूर्व किन–किन विभागों/कार्यालयों में किस–किस पद हेतु आवेदन पत्र दिए हुए हैं तथा किस–किस शैक्षणिक योग्यता हेतु परीक्षा फॉर्म भर चुके हैं।
6. कार्यग्रहण से पूर्व इन्हें अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र तथा अन्य संबंधित प्रमाण–पत्र संबंधित अधिकारी को मूल में प्रस्तुत करने होंगे। जिन्हें वे देखने के उपरान्त वापस कर देंगे।
7. इनको कार्यग्रहण करने के पश्चात् भविष्य में किसी पद हेतु आवेदन करने या प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व तथा अग्रिम अध्ययन (Further Study) के लिए परीक्षा फॉर्म भरने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी से स्वीकृति/अनुमति प्राप्त करनी होगी।

1.3.19

8. इनकी सेवाऐं किसी भी समय बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं और यदि ये राज्य सेवा से त्याग पत्र देना चाहें तो इसके लिए इनको एक माह का नोटिस/सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देना होगा।
9. इन्हें कार्यग्रहण करने से पूर्व केन्द्र/राज्य सरकार के किसी कार्यालय में सेवारत नहीं होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. इनका राजस्थान के किसी भी जिले में पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।
11. इनको प्रथम नियुक्ति पद पर कार्यग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता व्यय आदि देय नहीं होगा।
12. कार्मिक (क-2) के परिपत्रादेश क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 9-6-2003 के तहत इनको नई नियुक्ति होने के फलस्वरूप इन पर अंशदायी पेंशन योजना के नियम लागू होंगे।
13. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 27-2-2001 के अनुसार मृतक के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण-पोषण नहीं किया गया तो यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
14. राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (नियम शाखा) के मेमोरेण्डम एफ.13(1)एफ.डी./रूल्स/2003 दिनांक 27-3-2004 के द्वारा राज्य सेवा में नवनियुक्त कर्मचारियों को जो 1-1-2004 या इसके पश्चात् नियुक्त हुए हैं उन्हें नए अंशदान पेंशन नियमों की परिधि में नियुक्त किया जाता है। परिवीक्षाधीन अवधि में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15 (1) एफ.डी./(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार कटौतियॉ होगी।
15. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त 1-1-2004 तथा उनके पश्चात् नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सेवा शर्तें, नियमों एवं परिपत्र आदि के द्वारा लगाए गए प्रावधान इन पर बाध्यकारी होंगे।
16. राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के नियम-9, राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 5 (51) कार्मिक/क-2/88 दिनांक 31.12.96 एवं परिपत्र क्रमांक प. 67 (कार्मिक)/क-2/84/6799 दिनांक 31.07.99 के अनुसार आपको तीन वर्ष की अवधि में हिन्दी अथवा अंग्रेजी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परीक्षा पास नही करने पर आपकी नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वधीन होगी। जब तक आप ऐसी अर्हता अर्जित नही कर लेते है, जब तक आपको कोई वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञेय/अनुज्ञात नहीं की जावेगी।
17. राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांकः-प.3(1)कार्मिक/ जब तक कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नही होगी तब तक आपको स्थाई नही किया जावेगा। इस पद की नियमित वेतन श्रृंखला व वेतन वृद्धि भी नहीं दी जावेगी।
18. इन्हें अन्य भत्ते तथा अन्य लाभ वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15 (1) एफ.डी./(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार तथा समय-समय पर परिवर्तित नियमों के अनुसार देय होंगे।
19. परीविक्षाधीन अवधि के दौरान एक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा और. कलेण्डर वर्ष से कम अवधि में पूर्ण वर्ष के सेवा माह की अवधि के अनुपात से आकस्मिक अवकाश देय होगा।

1.3.19

20. इनकी नियुक्ति कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 7 (1)(डी.ओ.पी.) क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के तहत दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् बच्चों की संख्या में वृद्धि के अध्यधीन मान्य होगी।

यदि उपर्युक्त निबन्धक तथा प्रतिबन्ध **श्री पंकज शर्मा, पुत्र स्व.श्री मित्रानन्द शर्मा** को स्वीकार हैं तो इनको नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

1.3.19

(राज कुमार पाण्डे)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,जयपुर।
2. सहायक निदेशक ,आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,चूरू ।
3. कार्यालय ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, सरदार शहर, जिला चूरू।
4. श्री पंकज शर्मा, पुत्रस्व.श्री मित्रानन्द शर्मा, निवास स्थान-जयदेव भवन ,कपिल मंडी, नीमकाथाना, जिला सीकर।
5. निजी पत्रावली/रक्षी पत्रावली।
6. गोपनीय शाखा।

(कुलदीप भटनागर)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)